



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

National Institute of Fashion Technology

वस्त्र मन्त्रालय, भारत सरकार / (Ministry of Textiles, Govt. of India)

भोपाल उपमार्ग सड़क, भौरी, भोपाल - 462030 / Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030

Website: nift.ac.in/Bhopal, Tel. (दूरभाष) 0755-2493736

चाय की दुकान चलाने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आमंत्रण

Invitation for Expression of Interest for Running the Tea Stall

परिचय:

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना 1986 में कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसे फैशन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में शिक्षा और अनुसंधान के प्रचार और विकास के लिए 2006 में संसद के अधिनियम (निफ्ट अधिनियम 2006) के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। निफ्ट अपने 18 केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में फैशन व्यवसाय शिक्षा प्रदान करता है। निफ्ट फैशन के क्षेत्र में पेशेवरों और छात्रों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन और प्रौद्योगिकी में चार साल का स्नातक (यूजी) कार्यक्रम, डिजाइन, फैशन प्रबंधन और फैशन प्रौद्योगिकी में दो साल का स्नातकोत्तर (पीजी) कार्यक्रम और अल्पकालिक शिक्षा कार्यक्रम प्रदान करता है। निफ्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके परिसर बंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, दमन, गांधीनगर, भोपाल, जोधपुर, कांगड़ा, कन्नूर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, पटना, पंचकूला, रायबरेली, शिलांग और श्रीनगर में स्थित हैं।

निफ्ट भोपाल ने अपना संचालन वर्ष 2008 में एक अस्थायी परिसर: निफ्ट ब्लॉक, एम.पी. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, कोलार रोड, भोपाल में शुरू किया और अब भोपाल-इंदौर बाईपास रोड, भौरी, भोपाल - 462030 में अपने स्थायी परिसर में वर्ष 2022 में स्थानांतरित हो गया है। वर्तमान में निफ्ट भोपाल में लगभग 412 छात्र और 60 कर्मचारी हैं।

हम परिसर में चाय की दुकान संचालित करने के लिए एक सेवा प्रदाता के चयन की प्रक्रिया में हैं। ईओआई विवरण, निर्देश, नियम और शर्तें, आदि, जिन पर अनुबंध दिया जाना है, बाद के पृष्ठों में दिए गए हैं।

- एक सीलबंद लिफाफे में विधिवत भरे हुए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) फॉर्म के दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से जमा किया जाना चाहिए या केवल पंजीकृत डाक या कूरियर द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि अंतिम तिथि तक संस्थान पहुंच सके।
- ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि के बाद खोली जाएगी।
- अधिक जानकारी के लिए, कृपया टी स्टॉल के लिए नियम और शर्तें देखें।
- संस्थान बिना कोई कारण बताए किसी या सभी रुचि की अभिव्यक्ति को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ईओआई जमा करने से पहले, सेवा प्रदाता को सलाह दी जाती है कि वह संभावित असाइनमेंट के लॉजिस्टिक्स से खुद को अवगत कराने के लिए संस्थान का दौरा करे।
- टी स्टॉल निफ्ट के छात्रों, कर्मचारियों, आगंतुकों और अतिथि संकाय को प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है।
- निफ्ट के कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए सेवाओं की सुविधा के लिए छुट्टियों के दौरान भी चाय की मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मुहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

दुकान साल भर खुली रहेगी और पूरे दिन काम करने का समय सुबह 06.30 बजे से रात 09.30 बजे तक रहेगा।

- निदेशक के पास ईओआई दस्तावेज़ में उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों में संशोधन करने या वापस लेने या किसी भी या सभी एक्सप्रेसन ऑफ़ इंटरैस्ट को बिना कोई नोटिस दिए या कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और न्यूनतम अभिव्यक्ति को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस संबंध में निफ्ट भोपाल के निदेशक का निर्णय अंतिम और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

पात्रता मापदंड:

1. सेवा प्रदाता के पास समान प्रकार का व्यवसाय या गतिविधि चलाने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
2. अनुबंध-I और अनुबंध-II के अनुसार।

संस्थान द्वारा विस्तारित की जाने वाली सुविधाएं:

1. संस्थान निर्दिष्ट स्थान पर सुविधाओं को चलाने के लिए स्थान प्रदान करेगा।
2. मीटर आधारित रीडिंग पर वास्तविक खपत के अनुसार बिजली और पानी का शुल्क लिया जाएगा।

सेवा प्रदाता के दायित्व:

1. सेवा प्रदाता सुविधा को संचालित करने के लिए केवल निर्धारित स्थान का उपयोग करेगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी अन्य स्थान का उपयोग नहीं करेगा।
2. सेवा प्रदाता हर समय क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। सभी उत्पन्न कचरे को अलग-अलग डिब्बे (सेवा प्रदाता द्वारा रखे जाने के लिए) में एकत्र किया जाना चाहिए और प्रतिदिन निकटतम कचरा संग्रह केंद्र में पहुंचाना चाहिए।
3. प्रदान की गई जगह का मामूली काम (रखरखाव) और रोशनी, पंखे, जल निकासी आदि का नियमित रखरखाव ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।
4. अनुबंध समाप्त होने पर, ठेकेदार प्रदान की गई जगह को अच्छी कार्यशील स्थिति में वापस निफ्ट, भोपाल को सौंप देगा।

किराया और अन्य शुल्क:

1. दुकान चलाने के लिए न्यूनतम लाइसेंस शुल्क रु.500/- (रुपये, पांच सौ) प्रति माह।
2. मासिक लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त मीटर आधारित रीडिंग पर वास्तविक खपत के अनुसार विद्युत एवं जल शुल्क देय होगा।
3. लाइसेंसधारी द्वारा मासिक लाइसेंस शुल्क प्रत्येक माह की 7 तारीख तक एनईएफटी/आरटीजीएस/ऑनलाइन/डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से अग्रिम रूप से जमा किया जाएगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी कार्य/संविदा के प्रारंभ होने से पूर्व निफ्ट के पास प्रतिभूति राशि के रूप में रु.2,000/- (केवल दो हजार रुपये) जमा करेगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, और राशि अनुबंध के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद और देय राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद वापस कर दी जाएगी। इसे केवल एनईएफटी/आरटीजीएस/ऑनलाइन/डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) ट्रांसफर के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। यदि डीडी द्वारा भुगतान किया जाता है तो राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), भोपाल के पक्ष में एक डीडी तैयार करें। निफ्ट भोपाल बैंक खाते का विवरण निम्नानुसार है:

निफ्ट सामान्य खाता संख्या: 549102010009108

बैंक : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कोलार रोड, भोपाल-462041

IFSC : UBIN0554910

इस भुगतान का एक प्रमाण (यूटीआर कोड नंबर) accountteam.bhopal@nift.ac.in पर भेजा जाना है।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मुहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

सेवा प्रदाता के लिए सामान्य नियम और शर्तें:

1. सप्ताह के सभी दिनों में दुकान सुबह 06.30 बजे से रात 09.30 बजे तक खुली रहनी चाहिए। अन्य दिनों में यदि दुकान बंद रहेगी उसे निफ्ट भोपाल द्वारा अधिकृत करना होगा।
2. कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 03 दिनों के भीतर बोलीदाता को चाय की दुकान (टी स्टॉल) चलाने के लिए तैयार होना चाहिए।
3. निफ्ट को ईओआई दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के लिए प्रत्येक चूक के लिए न्यूनतम रु.50/- प्रतिदिन का जुर्माना लगाने का अधिकार है।
4. टी स्टॉल के भीतर अनुपयोगी वस्तुओं या किसी अन्य वस्तु का कोई कचरा नहीं होना चाहिए। टी स्टॉल और सेवा क्षेत्रों के अंदर हाउसकीपिंग पूरी तरह से ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
5. ठेकेदार चाय की दुकान में निम्नलिखित सामग्री उपलब्ध कराएगा (प्लास्टिक के कंटेनर/कप/मग/बर्तन का उपयोग नहीं किया जाएगा, चाय और कॉफी के लिए केवल हेंडलवाले कपामग का प्रयोग किया जाएगा, इससे अतिरिक्त उपभोक्ता के अनुसार दोबारा इस्तेमाल होने योग्य / डिस्पोजेबल बर्तन का प्रयोग किया जाएगा)
 - i. दूध की चाय - 150 मिली
 - ii. टी ब्लैक/ग्रीन - 150 मिली
 - iii. कॉफी (बीट) दूध - 200
 - iv. कॉफी ब्लैक - 200
 - v. इंस्टेंट नूडल्स
 - vi. बटर बन
 - vii. ब्रेड ऑमलेट
 - viii. उबला हुआ अंडा
 - ix. पाँपकॉर्न
 - x. कुकीज़
6. ठेकेदार को दुकान में बेची जाने वाली वस्तुओं की मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। निफ्ट भोपाल में टी स्टॉल में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतें स्थानीय बाजार दर से अधिक नहीं होंगी और नियमित आधार पर निफ्ट अधिकारियों की समिति द्वारा अनुमोदित और समीक्षा की जाएंगी। स्वीकृत दर सूची ठेकेदार द्वारा टी स्टॉल क्षेत्र के भीतर एक उचित स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी।
7. ठेकेदार द्वारा नियोजित कामगार सीधे ठेकेदार द्वारा पर्यवेक्षण और नियंत्रित होंगे, और निफ्ट के साथ उनका कोई संबंध नहीं होगा। निफ्ट के पास ऐसे कामगारों को नियंत्रित या पर्यवेक्षण करने या कानून के तहत अनुमत के अलावा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोई शक्ति नहीं होगी। ऐसे कामगारों का निफ्ट में किसी भी अस्थायी या स्थायी पद के विरुद्ध सेवा या सेवाओं के नियमितीकरण के लिए निफ्ट के साथ/पर कोई दावा नहीं होगा। सभी उद्देश्यों के लिए, ठेकेदार उनका प्रधान नियोक्ता होगा।
8. ठेकेदार के लिए निम्नलिखित स्वच्छता और सफाई के उपाय करना अनिवार्य होगा: (क) दुकान क्षेत्र को दिन में दो बार साफ करना, (ख) दिन के अंत में बर्तनों को गर्म पानी में भिगोना, (ग) क्राँकरी को डिटर्जेंट का उपयोग करके गर्म पानी से धोया जाना चाहिए, (घ) पाइप लाइन की सफाई अगर चोक हो जाए।
9. ठेकेदार द्वारा लगाए गए टी स्टॉल के कर्मचारी: (क) हर समय पेशेवर विनम्र व्यवहार दिखाएंगे, (ख) स्टाफ को साफ-सुथरे काम के कपड़े, एप्रन, दस्ताने आदि पहनने चाहिए। (ग) टी स्टॉल के कर्मचारी बीड़ी नहीं पीएंगे। परिसर में सिगरेट या मादक पेय लेते हैं और न ही उन्हें पान, गुटखा, तम्बाकू आदि चबाने की अनुमति है।
10. ठेकेदार चाय की दुकान और निफ्ट भोपाल परिसर में किसी भी प्रकार की सिगरेट, बीड़ी, पान, शराब आदि की बिक्री नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इन गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उस व्यक्ति को तुरंत परिसर छोड़ने के लिए कहा जाएगा और ठेकेदार इस शर्त के उल्लंघन के लिए अनुबंध को रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मुहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

11. ठेकेदार भुगतान के आधार पर निफ्ट भोपाल परिसर में निर्दिष्ट स्थानों पर निफ्ट कर्मचारियों को आइटम परोसने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा। ठेकेदार आवश्यकता के अनुसार भुगतान के आधार पर आधिकारिक बैठकों और सम्मेलनों में आइटम परोसने की व्यवस्था भी करेगा।
12. संस्थान के साथ सेवा प्रदाता द्वारा अनुबंध को समाप्त करने के लिए एक अनुबंध को लिखित रूप में 01 महीने की पूर्व सूचना देकर और किसी भी गैरकानूनी, असामाजिक और स्थिति में स्पष्ट शर्त के अधीन अनुबंध को समाप्त करने की आवश्यकता है। या सेवा प्रदाता द्वारा संस्थान-विरोधी या अनाधिकृत गतिविधियों के पाए जाने पर, अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
13. सेवा प्रदाता को अपने आवंटित स्थान और सहायक उपकरण पर हर समय नियमित सफाई, स्वच्छ स्थिति और उपयुक्त परिसर जैसा अनुशासन सुनिश्चित करना होगा, जिसकी घोर उपेक्षा करने पर, अनुबंध को समय से पहले समाप्त करने सहित भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
14. दुकान केवल संस्थान के लाभार्थियों द्वारा उपयोग के लिए खुली रहेगी। इस प्रकार, सेवा प्रदाता न तो परिसर के बाहर से किसी उपयोगकर्ता को आमंत्रित/सेवा प्रदान करेंगे और न ही आश्रय देंगे। इस व्यक्त शर्त का उल्लंघन करने पर संवतः ही संविदा समाप्त हो जाएगी।
15. संस्थान को किसी भी स्तर पर एक्सप्रेसन ऑफ इंटरैस्ट को रद्द करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जाएगा और इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।
16. चाय की दुकान पर किसी भी बाल श्रमिक को नियोजित नहीं किया जायेगा।
17. सेवा प्रदाता द्वारा श्रम कानूनों आदि के सभी नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।
18. सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। आग बुझाने के यंत्र सुलभ स्थानों पर स्थापित होने चाहिए और काम करने की स्थिति में होने चाहिए।
19. किसी भी स्तर पर काम को उप-अनुबंध (सबलेट/सब-कॉन्ट्रैक्ट) पर देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
20. यदि किसी के साथ झगडा या दुर्व्यवहार करते हुए या किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो संस्थान द्वारा अनुबंध समझौते को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में, सेवा प्रदाता को 3 दिनों के भीतर परिसर खाली करना होगा।
21. ईओआई जमा करने से पहले, सेवा प्रदाता को साइट चेकिंग के लिए संस्थान जाना चाहिए।

नियम और शर्तें:

1. अनुबंध की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष के लिए होगी जिसे निफ्ट भोपाल के निर्णय के साथ प्रतिक्रिया और प्रदर्शन के आधार पर एक वर्ष के आधार पर दो वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
2. अनुसूचित संपत्ति निफ्ट भोपाल के पूर्ण कब्जे में रहेगी और वर्तमान समझौता केवल सेवा प्रदाता को सहमत उद्देश्यों के लिए परिसर का उपयोग करने की अनुमति देता है।
3. संस्थान द्वारा गठित समिति सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का औचक निरीक्षण/निगरानी करेगी।
4. आवंटित स्थान की हाउसकीपिंग सेवा प्रदाता द्वारा अपने खर्चे पर की जायेगी।
5. यदि सेवा प्रदाता लाइसेंस अवधि की समाप्ति के बाद या अनुबंध की समाप्ति की नोटिस अवधि के एक महीने के बाद आवंटित स्थान/भवन को खाली नहीं करता है, तो सेवा प्रदाता लागू अन्य शुल्कों के अतिरिक्त 100/- रुपये के दैनिक दंडात्मक किराए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
6. सेवा प्रदाता आवंटित स्थान/भवन को बुनियादी ढांचे के साथ निफ्ट भोपाल को वापस सौंप देगा।
7. सेवा प्रदाता दुकान/आवंटित स्थान के आस-पास केवल निर्दिष्ट अनुमोदित गतिविधियों को ही संचालित करेगा और लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन में कोई भी अनिर्दिष्ट गतिविधियां नहीं करेगा। यदि सेवा प्रदाता किसी भी गैर-अनुमोदित गतिविधियों को करने में शामिल होता है, तो निफ्ट भोपाल लाइसेंस समझौते को तुरंत रद्द करने के लिए स्वतंत्र है।
8. निफ्ट भोपाल सेवा प्रदाता को एक महीने का लिखित नोटिस देकर लाइसेंस रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और सेवा प्रदाता द्वारा हर समय किए गए विकास और परिचालन कार्यों का निरीक्षण

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मुहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

और नियंत्रण करने का अधिकार भी रखता है और सेवा प्रदाता को निफ्ट भोपाल द्वारा जारी आदेश एवं निर्देश का पालन करना होगा।

9. सेवा प्रदाता आवंटित स्थान/दुकान में क्रियाकलापों को निफ्ट भोपाल के कानून एवं विनियमों के अनुसार तथा वर्तमान में लागू सरकार के अनुसार संचालित करेगा और इसके उल्लंघन में तथा किसी भी स्थिति में क्रियाकलाप नहीं करेगा। निफ्ट भोपाल के कानूनों और देश के कानून के नियमों, विनियमों के किसी भी उल्लंघन के लिए, पहली पार्टी बिना कोई कारण बताए लाइसेंस रद्द करने के लिए स्वतंत्र है।
10. दुकान/आवंटित स्थान पर पूरी तरह से साफ-सफाई और स्वच्छ रखनी होगी। सेवा प्रदाता की गतिविधियों के कारण क्षेत्र में कहीं भी फेंका गया कोई भी कूड़ा सेवा प्रदाता द्वारा ही साफ/एकत्रित किया जाएगा।
11. ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सभी वस्तुओं को उचित रूप में गुणवत्ता बनाए रखकर परोसा जाना चाहिए। सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पुरानी वस्तु न बेची जाए।
12. कचरा एकत्र करना और उचित तरीके से निपटान करना सेवा प्रदाता की एकमात्र जिम्मेदारी है। किसी भी परिस्थिति में अपशिष्ट का निपटान सीवेज पाइपों या नालियों के माध्यम से नहीं किया जाएगा।
13. प्लास्टिक से बनी डिस्पोजेबल सामग्री जैसे प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, स्ट्रॉ आदि का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सभी आइटम/उपकरण/भंडारण/डिस्प्ले आवंटित क्षेत्र के भीतर होने चाहिए।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मुहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

यदि सेवा प्रदाता उपरोक्त नियमों और शर्तों से सहमत है, उपरोक्त पात्रता शर्तों को पूरा करता है और उपरोक्त गतिविधियों को चलाने में रुचि रखता है, तो उसे ईओआई के साथ निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी देनी होगी।

1. नीचे दिए गए प्रारूप में संपर्क विवरण (पता, टेलीफोन, ईमेल आईडी, आदि) लिखें।

1.	संस्था / मालिक का नाम	
2.	संस्था/मालिक का पता	
3.	पंजीकरण संख्या (यदि उपलब्ध हो)	
4.	संपर्क विवरण	
	<ul style="list-style-type: none"> • मोबाईल नंबर • ईमेल आईडी 	
5.	पैन नंबर	
6.	टी स्टॉल का कुल वर्षों का अनुभव	

नोट: उपरोक्त बयानों के समर्थन में सभी प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।

- रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) निर्धारित दस्तावेजों के साथ सभी तरह से पूर्ण है, इसे प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), भोपाल बाईपास रोड, भौरी, भोपाल -462030 को सीलबंद लिफाफे में जमा और संबोधित किया जाना चाहिए। लिफाफे के ऊपर "निफ्ट भोपाल में चाय की दुकान चलाने के लिए एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई)" लिखा होना चाहिए।
- ईओआई के सभी कागजात पर संगठन/मालिक के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए।
- ईओआई उपरोक्त पते पर अंतिम तिथि को या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त ईओआई पर विचार नहीं किया जाएगा। निफ्ट भोपाल डाक/कूरियर विलंब/हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मुहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal

निफ्ट भोपाल को लाइसेंस शुल्क के भुगतान का प्रस्ताव

मैं/हम निफ्ट भोपाल में चाय की दुकान चलाने के लिए निफ्ट भोपाल को रु..... प्रति माह लाइसेंस शुल्क (बिजली शुल्क और पानी शुल्क को छोड़कर) भुगतान करने की पेशकश करता हूं/करते हैं। (शब्दों में, रुपये प्रति माह)
(कृपया अंकों और शब्दों में राशि का उल्लेख करें) + जीएसटी जो भी लागू हो।

चयन के मानदंड के लिए बेटेज दिया जाता है - उद्धृत उच्चतम लाइसेंस शुल्क।

घोषणा:

मैं घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर :

मालिक/फर्म का नाम :

पता :

तारीख :

मोबाइल नंबर :

ईमेल आईडी :

मैंने ईओआई पढ़ लिया है और मैं ईओआई के सभी नियमों और शर्तों को स्वीकार करता हूँ ।
I have read the EOI and I accept all the Terms and Conditions of EOI

मालिक/अधिकृत व्यक्ति के मुहर सहित हस्ताक्षर / Signature of authorised person with Seal